न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:– 185/2016
निर्णय दिनांक:– 03.07.2025
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर (फौत)
   1/1. सत्यनारायण पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद जाति ब्राहाम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
   1/2. सुरेश चन्द पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद जाति ब्राहाम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
   1/3. कान्ता देवी पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद जाति ब्राहाम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
   1/4. अमिता पुत्री स्व0 जगदीश प्रसाद पत्नी ज्ञानप्रकाश जाति ब्राहॉम्ण निवासी ग्राम सेहदरिया तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र छीतर जाति ब्राहाम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
   1/1. प्रेम देवी पत्नी स्व0 सत्यनारायण
   1/2. ओमनारायण पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/3. हनुमान पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/4. केदार पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/5. केशव पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/6. ज्योतिषनारायण पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   1/7. अर्जुन पुत्र स्व0 सत्यनारायण
   समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
   1/8. भावना शर्मा पुत्री स्व0 सत्यनारायण पत्नी राधेश्याम जाति ब्राहाम्ण निवासी टुटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर।
   1/9. पूजा पुत्री स्व0 सत्यनारायण पत्नी राजेश जाति ब्राहाम्ण निवासी नंटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक।
   1/10. सीमा पुत्री स्व0 सत्यनारायण पत्नी लोकेश जाति ब्राहाम्ण निवासी नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक।
2. भूपेन्द्र उर्फ मालू पुत्र मदनलाल
3. शान्ति देवी बेवा मदनलाल
4. सुमन पुत्री मदनलाल
5. नीरू पुत्री मदनलाल
6. रेणु पुत्री मदनलाल

   } नाम हजफ

   समस्त जाति पुरोहित निवासी ग्रामं सांवरदा तहसील दूदू जिला जयपुर।
7. विजयलक्ष्मी पत्नी सत्यनारायण पुत्री मदनलाल जाति पुरोहित निवासी प्लाट नं0 48 नीरसागर कॉलोनी भांकरोटा जयपुर जिला जयपुर।
8. तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी

नोट:- आदेश दिनांक 10.7.25 के अनुसार वादी सं. 1,
सत्यनारायण के स्थान पर सत्यप्रकाश
पढ़ा जावें।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री विनय कुमार जैन अधिवक्ता वादीगण
श्री पुरूषोतम शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 7
वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 03.07.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि खतौनी संख्या 268 के खसरा नम्बर 4776, 4819, 4822, 4824 कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसका एकमात्र खातेदार काश्तकार वादी है एवं मौके पर काबिज काश्त है एवं सरकारी लगान जमा कराता है। विवादग्रस्त आराजी का तन्हा खातेदार स्व० रूपनारायण जी थे एवं स्व० रूपनारायण जी को घरू रूपयो की आवश्यकता हुयी तो स्व0 रूपनारायण जी ने उपरोक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के पास रहन रख दी जब भी रूपये अदा करूँगा आराजी रहन से मुक्त करा लूंगा एवं राजस्व रिकार्ड में रहन का इन्द्राज हो गया एवं उनकी फौती के बाद स्व0 मदनलाल के नाम इन्द्राज हो गया जबकि आराजी पर वादी काबिज काश्त था। विवादग्रस्त आराजी पर वादी काबिज काश्त होने के कारण वादी के व प्रतिवादी संख्या 1 व स्व0 मदनलाल के आपस में 1993 में आपस में रहन की राशि को लेकर विवाद हो गया एवं परस्पर सहमति से वादी ने रहन की राशि प्रतिवादी संख्या 1 को दे दी जिसकी नवीस्थ लिखा–पढी करके वादी को दे दी जब से वादी उक्त विवादग्रस्त आराजी को शांतिपूर्व काश्त करता चला आ रहा है वादी का विवादग्रस्त आराजी पर मुकालखाना कब्जा काश्त है। वादी ने लिखा–पढी के आधार पर स्व0 मदनलाल को कई दफा आराजी नाम लगाने बाबत कहा तो आराजी खसरा नम्बर 4818 रकबा 5 बिस्वा गैरमुमकिन चाह में से 1/2 हिस्से की आराजी को स्व० मदनलाल ने विक्रय विलेख वादी के नाम करवा दिया जो कि गैरमुमकिन चाह से विवादग्रस्त आराजी पिलाई व सिचाई होती है विवादग्रस्त आराजी का यह विश्वास दे दिया कि राजस्व रिकार्ड में रहन की दुरूस्ती करवाकर तुम्हारे नाम बयान व रजिस्ट्री आदि करवा दूंगा इस विश्वास में वादी आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त आराजी में काफी पैसा खर्च करके आराजी उन्नत व उपज बना ली है एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के पिता व पति स्व0 मदनलाल का देहान्त हो गया इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया एवं आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाकर आराजी को चुपचाप बेचान करने की फिराक में है दिनाक 20/03/2012 को वादी आराजी में बोई हुई फसल की देख–रेख कर रहा था तो प्रतिवादी संख्या 1 व 3 एवं 7 आराजी पर 2 व 3 अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आये एवं आराजी को बेचान की बातचीत करने लगे वादी के मना करने पर प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि आराजी हमारे नाम है इसे ऐसे व्यक्ति को बेचान करेंगे जा तुम्हे आराजी से बेदखल कर देगा इसलिये वादी को अपने हितो की रक्षार्थ हेतू परम आवश्यक हो गया कि प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना परम आवश्यक हुआ। वादी का विवादग्रस्त आराजी पर मुखालखाना कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वादी को काश्तकारी अधिनियम धारा 63 (4) के तहत खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो चुके है एवं मुखालखाना कब्जा काश्त व स्व० मदनलाल की स्वीकारिता के आधार पर वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी को वाद कारण दिनाक 20/03/2012 को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 एवं 7 द्वारा आराजी बेंचान व बेदखल

उपखण्ड अधिकारी
फागी

करने की एलानिया धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो अन्दर मियाद है। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान् का निवास स्थान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने कारण वादीगण के वाद की सुनवाई व निस्तारण का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की और से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल शर्मा ने वकालतनामा मय· जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जबाब मे वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की।

दिनांक 08.01.2015 को प्रार्थन पत्र आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 स्वीकार होने पर प्रतिवादी सं0 2 लगायत 6 का जबाब हजफ किया गया।

प्रतिवादी सं0 7 की और से वकील श्री पुरूषोतम शर्मा जरिये असालतन वकालतनामा उपस्थित आये।

वादीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 (4) व धारा 151 जा0 दी0 पर वकील प्रतिवादी सं0 7 की अनापत्ति के आधार पर स्वीकार किया जाकर पूर्व मे प्रस्तुत जबाब दावा से प्रतिवादी सं0 1/1 लगायत 1/10 कानूनन एस्डोप्ड है। इसलिये प्रतिवादी सं0 1/1 लगायत 1/10 की तामील बन्द की गई।

3. वादीगण व प्रतिवादी सं0 7 स्वंय हाजिर अदालत आये तथा राजीनामा पेश किया। राजीनामा वाद तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान ने अपने राजीनामा मे बताया की उक्त आराजी ख0न0 4776, 4819, 4822, 4824 कुल किता 04 कुल रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा हाल कुल रकबा 0.6956 है0 वाके ग्राम फागी दक्षिण में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आराजीयात वादी सं0 1/1 व वादी सं0 1/2 के नाम लगा दी जावे तो प्रतिवादी सं0 7 को कोई आपत्ति नही है। वादी के सं0 1/1 व 1/2 के नाम वाद डिक्री फरमाया जावे तो वादी स0 1/3 व 1/4 को कोई आपत्ति नही है उक्त आराजी में भविष्य में हमारा कोई हक अधिकार नही रहेगा। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजीयात प्रतिवादी सं0 2 लगायत 7 के पिता की खातेदारी भूमि रही है उक्त सम्पूर्ण आराजी का हक त्याग पत्र दिनांक 26.12.2007 को प्रतिवादी सं0 7 के पक्ष मे हो गया है इसलिये उक्त सम्पूर्ण भूमि वादी सं0 1/1 व 1/2 के नाम रिकार्ड मे लगा दी जावे तो मुझे प्रतिवादी सं0 7 को कोई आपत्ति नही है।
4. बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
5. प्रतिवादी सं0 7 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।
6. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा· प्रस्तुत जबाब मे वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 6 का नाम पूर्व मे हजफ किया जा चुका है। प्रतिवादी सं0 1/1 लगायत 1/10 के पिता द्वारा इकबालिया जबाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोंई आपत्ति प्रकट नही की है एवं राहिन का राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज भू0राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वतः ही अधिकार समाप्त हो चुके है। वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
फागी

प्रतिवादी सं0 7 ने स्वंय हाजिर होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा अपने राजीनामा मे वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही किया है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी ख0न0 4776, 4819, 4822, 4824 कुल किता 04 कुल रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा हाल कुल रकबा 0.6956 है0 वाके ग्राम फागी दक्षिण में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन मदनलाल पुत्र रामसहाय जाति पुरोहित राहिन सत्यनारायण पुत्र छीतर व ग्यारसी देवी बेवा छीतर जाति ब्रा0 भट सा0देह का नाम हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर वादी सं0 1/1 को 1/2 हिस्से का, वादी सं0 1/2 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

3/7/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला
जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर (फौत)

1/1. सत्यनारायण पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद जाति ब्राहाम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर वगै0

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र छीतर जाति ब्राहाम्ण निवासी फागीं तहसील फागी जिला जयपुर।

1/1. प्रेम देवी पत्नी स्व0 सत्यनारायण जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर वगै0

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेघाज्ञा ::–

मु0न0:– 185 / 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री विनय कुमार जैन हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी ख0न0 4776, 4819, 4822, 4824 कुल किता 04 कुल रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा हाल कुल रकबा 0.6956 है0 वाके ग्राम फागी दक्षिण में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन मदनलाल पुत्र रामसहाय जाति पुरोहित राहिन सत्यनारायण पुत्र छीतर व ग्यारसी देवी बेवा छीतर जाति ब्रा0 भट सा0देह का नाम हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर वादी सं0 1/1 को 1/2 हिस्से का, वादी सं0 1/2 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**

निज.......—.......मुबलिग.......—.......बाबत.......—.......खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....—.......फीसदी.......—.......सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख़त व मुहर अदालत के आज तारीख 03.07.2025 को जारी की गई।

दस्तखत...3/7/25... उपखण्ड अधिकारी

मुहर

ओहदा...फागी.......

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट:- आदेश दिनांक 10.7.25 के अनुसार वादी सं. 1/1 सत्यनारायण के स्थान पर सत्यप्रकाश पढ़ा जावे।

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर